राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर

क्रमांक:एफ.6(92)मि.अ./राजस्व/90/   दिनांक:-

::आदेश::

उपशासन सचिव,राजस्व(ग्रुप-3)विभाग,जयपुर ने पत्र क्रमांकः प.2(2)।(राज/3/86/ दिनांक 7-5-94 द्वारा ग्राम शिवसिंहपुरा के तहसील सीकर स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 137/288 रकबा 1.80 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि को चारागाह से खारिज की है को ग्रामीण महिला शिक्षा संस्थान समिति,सीकर को राजस्थान भू-राजस्व(स्कूल, कालेजो,चिकित्सालयों,धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत स्कूल/कालेज निर्माणार्थ आवंटन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्तें:-

(1) आवंटन निःशुल्क होगा।

(1)(क) आवंटन 30 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा। 30 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात सरकार स्थिति का पुनरावलोकन कर सकेगी और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो रहा है जिसके लिए उसका आवंटन किया गया था तथा उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तो अवधि आगे 30 वर्ष के लिये नवीनीकरण की जा सकेगी।पट्टे की लिखित प्रपत्र। में होगी।

(2) जब भूमि पर कोई भवन बनाया जा रहा हो और उससे भूमि कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित हो गई हो,तो कोई भी प्रिमियम या शहरी निर्धारित कर वसूल नहीं किया जायेगा।

(3) भूमि का उपयोग कठोरता से उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए इनका आवंटन हुआ है और आवंटन के एक वर्ष के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा जिसके लिए भूमि का आवंटन हुआ है।

परन्तु शर्त यह है कि जो भूमि किसी स्कूल या कॉलिज बनाने बनाने के लिए आवंटित हुई हो उसका उपयोग उक्त स्कूल या कालेज से सम्बन्धित कृषि प्रयोजन हेतु भी किया जा सकेगा।

(4) भूमि सरकार में निहित होगी।

परन्तु शर्त यह है कि यदि भूमि पंचायत घर बनाने के लिए किसी ग्राम पंचायत को आवंटित की गई हो,तो वह पंचायत में निहित होगी।

(5) ऐसी भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा और बदनियत से उसका स्थानान्तरण आवंटित दान ग्राही के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जाएगा।

... 2पपप..

(6) प्रत्येक शर्त के लिए आवंटित बाध्य होगा इसका इकरार वह लिखित में देगा ।

(7) उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने की दशा में भूमि उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित, बिना मुआवजे के दावे के वापिस सरकार को चली जायेगी ।

जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक:- राजस्व/अ. [illegible]   दिनांक:- 21/5/93

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) उपखण्ड अधिकारी, सीकर ।

(2) तहसीलदार, सीकर को उनकी पत्रावली भिजवाकर, लेख है कि नियमों की शर्त सं. 7 के सन्दर्भ में इकरार नामा लिखा कर भूमि का तुरन्त कब्जा दे ।

(3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपराली (मु. सीकर)

(4) प्रधान/सरपंच, ग्राम पंचायत, [illegible] ।

(5) अध्यक्ष, ग्रामीण महिला शिक्षा, संस्थान समिति, सीकर ।

(7) डी.आर.ए., कलेक्ट्रेट, सीकर ।

(8) रक्षी पत्रावली ।

जिला कलक्टर, सीकर

प. मु. 3

अंशिक नकल जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम भि.वाडी पटवार क्षेत्र ढूंढाणी भू-अभिलेख निरीक्षक सीकर तहसील सीकर जिला सीकर राजस्थान संवत् 20 47 से 20 50 तक

प्रति

खाता (खतौनी) संख्या नई	पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति, तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि (मृदा) वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	कृषक द्वारा देय लगान तथा अन्य शोध्य: दर सहित ब्योरा	रकम	संवत् ... के लिए: अन्तरण के प्रकार सहित अनुज्ञापित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या तथा तारीख	भूमि के ब्योरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां जिनसे पक्ष व भूमि सम्बन्धित हो गई है	संवत् ... के लिए: अन्तरण के प्रकार सहित अनुज्ञापित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या तथा तारीख	भूमि के ब्योरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां जिनसे पक्ष व भूमि सम्बन्धित हो गई है	संवत् ... के लिए: अन्तरण के प्रकार सहित अनुज्ञापित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या तथा तारीख	भूमि के ब्योरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां जिनसे पक्ष व भूमि सम्बन्धित हो गई है	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	907	राजस्थान सरकार	अलावा जोत ना काबिल काश्त गै.मु. रास्ता	137/287	0.50	गै.मु. रास्ता	"	"	नोट - नामा 63/31/6/94 से खसरा 137/287/2 रकबा 0-11 गै.मु. र. खातेदारी ग्रामीण महिला विकास संस्थान समिति सीकर के नाम स्वीकार कृषी कार्य हेतु बदलवा सद						
95	91	राजस्थान सरकार	— ऊपरोक्त	137 137/288	7.75 1.80	—पहाड़ —पहाड़	" "	" "	नोट - नामा 60/2/8/94 से खसरा 137/2 रकबा 5.11 गै.मु., खसरा 137/288/3 रकबा 0.35 गै.मु., खसरा 137/288/2 रकबा 0. कुल रकबा 5-96 गै.मु. है की खातेदारी ग्रामीण महिला विकास संस्थान समिति सीकर के नाम स्वीकार कृषी कार्य बदलवा सद						

सत्यप्रतिलिपि
क्रमांक 1814 / 29/7/94
(हस्ताक्षर)
पटवारी
तहसील सीकर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर
****

क्रमांक: /राजस्व/99 दिनांक:- दिसम्बर, 99

:: आदेश ::

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र संख्या प02(21)(राज./ग्रुप-3/86 दिनांक 4-10-99 द्वारा ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 137/288/1 रकबा 0.95 हैक्टर किस्म चारागाह में से 0.95 हैक्टर भूमि चारागाह से खारिज कर राज0भू-राजस्व अधिनियम (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 एवं इसमें संशोधन अधिसूच दिनांक 14-2-95 के नियम 3(2) के (घ) के अनुसार ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर को निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की हैं ।

अतः उक्त स्वीकृति की अनुपालना में ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील सीकर क भूमि खसरा नम्बर 137/288/1 रकबा 0.95 हैक्टर किस्म चारागाह में से 0.95 हैक भूमि निम्न शर्तों पर ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर को भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं ।

तहसीलदार, सीकर को आदेश दिया जाता हैं कि आवंटित की गई भूमि का कब्जा सम्बन्धित संस्था को देकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रि एक माह की अवधि में इस कार्यालय में भिजवावें ।

शर्तें :

(1) आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा ।

(2) आवंटी से लीज डीड प्रपत्र-एक में निष्पादित कराया जायेगा ।

(3) भूमि जिस कार्य के लिए आवंटित की गई हैं उसी कार्य के उपयोग में ली जायेगी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के 6 महिने के अन्दर-2 भवन निर्माण शुरू किया ज कब्जा प्राप्त करने के 2 वर्ष के अन्दर-2 पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(4) भूमि राज्य सरकार की ही रहेगी ।

(5) आवंटित भूमि का उपयोग महिला शिक्षण संस्थान के लिए होगा । आवंटित अधिकारी की अनुमति बिना आवंटित भूमि व उस पर बनी इमारत का बेचान हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा व किराया पर आवंटन अधिकारी की अनुमति के बिना आवंटी नहीं दे सकेगा । यदि आवंटन अधिकारी हस्तान्तरण की स्वीकृति देता हैं तो हस्तांतरिती से नियम 3 के नियम 11 के अनुसार अलग प्रीमियम वसूल होगा ।

लगातार-2

(6) प्रत्येक शर्त के लिए आवंटी बाध्य होगा । इसका इकरार लिखित में देगा ।

(7) उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित वापिस बिना मुआवजे के सरकार को चली जायेगी ।

जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक: 4988-96 /राजस्व/99 दिनांक: 18/2/2000 ~~दिसम्बर, 99~~

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ /आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित हैं :-

1- शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राज0जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प02(2)(1) राज/ग्रुप-3/86 दिनांक 4-10-99 के क्रम में ।

2- माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर ।

3- उप खण्ड अधिकारी, सीकर ।

4- तहसीलदार, सीकर को भेजकर लेख हैं कि आवंटित भूमि का कब्जा संबंधित को देकर पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवावें ।

5- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, [illegible] पिपराली जिला सीकर ।

6- अध्यक्ष, ग्रामीण महिला विकास संस्थान समिति, बिशनसिंहपुरा तहसील सीकर ।

7- सरपंच, ग्राम पंचायत, कुडली पंचायत समिति, पिपराली ।

8- जिला राजस्व लेखाकार, कले0सीकर ।

9- रक्षी पत्रावली ।

प्रभारी अधिकारी,
राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर

प्रपत्र सं. पी-२१

(परत)

№ 0716690

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] भू.अ निरीक्षक हल्का [illegible] तहसील सीकर जिला सीकर राजस्थान

प्रविष्टि की क्रम संख्या	जमाबन्दी में जोतों की संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	नयी जोत संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विक्रय की दशा में कीमत सहित रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा, तथा तारीख तथा बन्धक की दशा में बन्धक ऋण की रकम या उत्तराधिकार की तारीख या मौखिक की तारीख, उसकी नामान्तरकरण फीस	स्टाम्प तथा शुल्क-भार की क्रम संख्या जिस पर मांग नियत की गई है	टिप्पणियां कब्जे आदि के बारे में, स्थल जांच के सम्बन्धित पटवारियों की रिपोर्ट और प्रविष्टियां, ... दस्तावेज के ... भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट
वर्तमान जमाबन्दी (खतौनी) में शुद्धि किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रविष्टि								जमाबन्दी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित नई प्रविष्टि							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
114	115	137/283/1	0.95	चारागाह	×	चारागाह		[illegible] महिला [illegible] संस्थान [illegible] सीकर	137/283/1	0.95	गैर मु.	×	[illegible] श्रीमान जिला कलक्टर सीकर क्रमांक [illegible] 96/[illegible] दिनांक 18.2.2000 [illegible] सीकर के क्रमांक [illegible] 001/36 [illegible] 29.2.2000 [illegible]	1000	श्रीमान जी [illegible] श्रीमान जिला कलक्टर [illegible] सीकर के [illegible] महिला [illegible] को 99 वर्ष की लीज [illegible] की है [illegible] करने की कृपा करें। [illegible] 3.3.2000
		कि. 16	37.29	चारागाह	×				कित्ता 15	36.34	चारागाह	×			

[illegible] (हस्ताक्षर) 18/3/2000

[illegible] (हस्ताक्षर) 17/4/2000

तहसीलदार सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 28/6

प्रतिलिपिकार (मु. म.)

भू-अभिलेख निरीक्षक कानूनगो सीकर

क्र. सं. 138 आवेदन पत्र पेश करने की तिथि 1.5.2000 तैयारी की तिथि [illegible] देने की तिथि 29.6.2000

पीआरएस (प्रप.)-93-20,000 प.

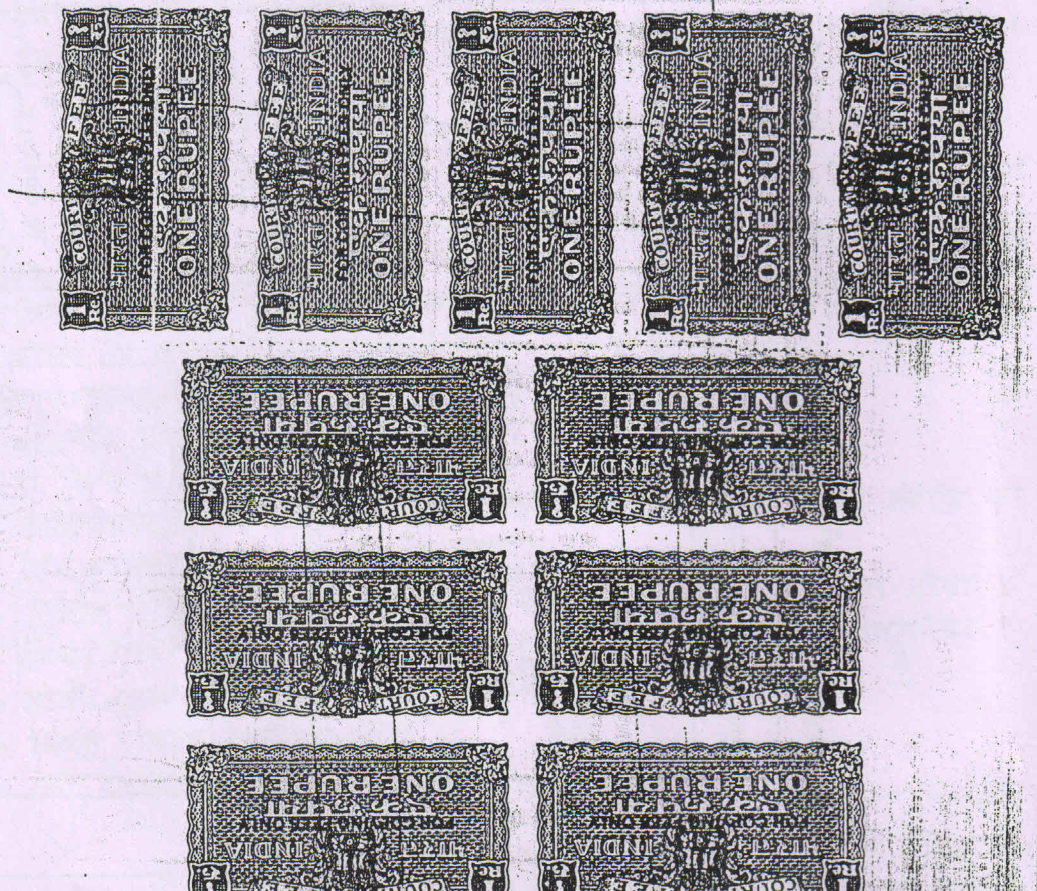
COURT FEE
भारत INDIA
FOR COURT FEES ONLY
एक रुपया
ONE RUPEE
1 Re.